

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5721/2024

श्री संजीव खोखा पुत्र श्री (दिवंगत) आरके खोखा, निवासी प्लॉट नंबर 63, प्रथम तल, उद्योग विहार चरण- I, गुरुग्राम, हरियाणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीएनबी) के माध्यम से अधीक्षक (पी) प्री और अंतर्राष्ट्रीय सेल, भवानी का कार्यालय मण्डी, जिला झालावाड़-326502।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री माधव मित्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री नितिन भंडारी के साथ
श्री सुमित रस्तोगी
सुश्री जया मित्रा
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री तेज प्रकाश शर्मा, विशेष पीपी

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

आरक्षित तिथि :: **04/09/2024**

उच्चारण तिथि :: **19/09/2024**

1. वर्तमान याचिका बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 के प्रावधानों के तहत दायर की गई है, जिसमें सत्र प्रकरण संख्या 03/2010 में विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला एवं सत्र न्यायालय, भवानीमंडी, झालावाड़ द्वारा पारित दिनांक 06.11.2017 के आदेश को चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक वर्णन यह है कि याचिकाकर्ता फर्म अर्थात् इंडिया इंटरनेशनल बिल्डर्स (जिसे आगे फर्म कहा जाएगा) का मालिक होने के नाते वर्ष 1983 से निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था। 13.04.1998 को याचिकाकर्ता की फर्म ने मेसर्स एसएस कंस्ट्रक्शन्स (जिसे आगे ठेकेदार कहा जाएगा) के साथ एक समझौता (अनुलग्नक पी-3) किया, जिसके

तहत याचिकाकर्ता को निर्माण स्थल पर ठेकेदार को जॉब वर्क आउटसोर्स करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता की फर्म को भारी नुकसान हुआ और ठेकेदार के कर्जों का निपटान करने के लिए, याचिकाकर्ता ने ठेकेदार के साथ एक समझौता समझौता किया जिसके तहत पंजीकरण संख्या वाली एक कार डीएल-4-सीएच-1763: मारुति जेन (जिसे आगे आपत्तिजनक वाहन कहा जाएगा) तथा अन्य कई मशीनरी, उपकरण और वाहन वर्ष 1998 में ठेकेदार को सौंप दिए गए थे। उक्त निपटान समझौता 07.03.2000 को लिखित रूप में किया गया था (अनुलग्नक पी-4)।

3. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने इस तथ्य को उचित रूप से स्वीकार किया था कि चूंकि आपत्तिजनक वाहन एक दृष्टिबंधक पट्टे के तहत था, इसलिए इसे ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता ने इसे चुकाने पर ठेकेदार को एक एनओसी प्रदान करने का वचन दिया था। तत्काल विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 11.10.2009 को तीन व्यक्तियों को आपत्तिजनक वाहन से 1100 ग्राम अफीम की तस्करी के साथ गिरफ्तार किया गया। परिणामस्वरूप, 14.10.2009 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (इसके बाद सीएनबी के रूप में संदर्भित) ने याचिकाकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी किए (क्योंकि आपत्तिजनक वाहन याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत था)। अनुक्रमिक रूप से, अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 1/2009 दर्ज किया गया और विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) जिला और सत्र न्यायालय, झालावाड़, राजस्थान ने अभियुक्त व्यक्तियों को 5 महीने के कठोर कारावास और रुपये के जुमनि की सजा सुनाकर दोषी ठहराने का आदेश दिया। 10,000/- प्रत्येक।

4. लगातार, सीएनबी ने 25.05.2017 को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) जिला और सत्र न्यायाधीश, भवानीमंडी, राजस्थान के समक्ष एक पूरक शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8/25 के तहत अपराधों के लिए बुलाया गया था। फिर भी, याचिकाकर्ता निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा; इसलिए, दिनांक 06.11.2017 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए।

5. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अनुलग्नक पी-4 अर्थात् याचिकाकर्ता और ठेकेदार के बीच हुए समझौता समझौते की सामग्री पर भरोसा जताया था और प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता ने पहले ही वर्ष 2000 में एसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपत्तिजनक वाहन हस्तांतरित कर दिया था। इसके साथ ही, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 35 के साथ धारा 25

के प्रावधानों को लागू करना और बिना किसी ठोस सबूत के याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेना स्वाभाविक रूप से गलत है और याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। यह भी तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को उक्त वाहन को बाद वाली कंपनी को हस्तांतरित करने के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हुए पहले ही अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। अंत में, विद्वान वकील ने आग्रह किया था कि आपत्तिजनक वाहन के स्वामित्व का बेहतर चित्रण प्राप्त करने के लिए पिछले दशक के रिकॉर्ड, बीमा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जांच एजेंसियों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

6. अब तक दिए गए तर्कों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आपराधिक अपील संख्या **735-55/2009** में दिए गए अनुपात पर भरोसा जताया है, जिसका शीर्षक पंजाब राज्य बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर एवं अन्य है। मीनू कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एआईआर **2006** एससी **1937** में रिपोर्ट किया गया, प्रशांत भारती बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य एआईआर **2013** एससी **2753** में रिपोर्ट किया गया और शैलेशभाई रणछोड़भाई पटेल एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील संख्या **1884/2013** में। उपर्युक्त कथनों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 और 35 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करने हेतु कुछ मूलभूत तथ्य प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, आरोपों को साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। निष्कर्ष के तौर पर, विद्वान वकील ने दलील दी कि मुख्य अभियुक्त के खिलाफ दर्ज सबसे पहले मामले में याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था, इसके अलावा, याचिकाकर्ता का नाम बाद में उक्त शिकायत में जोड़ा गया, जो जाँच एजेंसियों की संदिग्धता को दर्शाता है।

7. इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा की गई दलीलों का कड़ा विरोध किया था और प्रस्तुत किया था कि आरोपित आदेश वर्ष 2010 में पंजीकृत एक मामले में पारित किया गया था, और आज तक वर्तमान याचिका के अलावा याचिकाकर्ता द्वारा कोई विरोध/आक्रमण आवेदन/याचिका दायर नहीं की गई है। इसलिए, तत्काल याचिका विलंब और लापरवाही के सिद्धांत से प्रभावित होती है। आगे यह तर्क दिया गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 और 35 के प्रावधान, विचाराधीन वाहन के पंजीकृत मालिक के खिलाफ अनुमान और अनुमान लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों का एक मात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि अभियुक्त की दुर्भावनापूर्ण/दोषपूर्ण मानसिक स्थिति को न्यायालय द्वारा माना जाएगा, हालांकि, परीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से खंडन योग्य है।

8. इसके अलावा, यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष समन किया गया था, फिर भी, उक्त समन का पालन न करने के कारण, दिनांक 06.11.2017 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर- जमानती वारंट जारी किए गए। इस समय, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने सीएनबी द्वारा दिनांक 25.05.2017 को दायर पूरक शिकायत की विषय-वस्तु की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एसएस कंस्ट्रक्शन्स के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया आधिकारिक पता गलत था और जाँच एजेंसियों के अथक प्रयासों के बाद भी उसका पता नहीं लगाया जा सका।

9. इसके अलावा, पंजीकरण और उसके बाद के रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को ही दोषी वाहन का मालिक बताते हैं। अंत में, विद्वान वकील ने दलील दी कि यह याचिका विलंब से दायर की गई है, जिसका उद्देश्य केवल चल रही कार्यवाही को प्रभावित करना और उसमें देरी करना है।

10. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:

10.1 पूरक शिकायत दिनांक 25.05.2017 के परिणामस्वरूप, विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला एवं सत्र न्यायालय, भवानीमंडी, झालावाड़ ने दिनांक 06.11.2017 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर- जमानती वारंट जारी किए।

10.2 यह कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा एसबी आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2000/2023 में दिनांक 21.08.2023 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

11. उपर्युक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए तथा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय नीचे दिए गए कारणों से इस याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

11.1 बीएनएसएस की धारा 528 के तहत निहित क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा, कि अभियुक्त द्वारा पेश की गई सामग्री ऐसी है, जो इस निष्कर्ष

पर ले जाएगी कि उसका बचाव ठोस, उचित और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित है; पेश की गई सामग्री ऐसी है, जो अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित कथनों को खारिज और खारिज कर देगी; और पेश की गई सामग्री ऐसी है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों में निहित आरोपों की सत्यता को स्पष्ट रूप से खारिज और खारिज कर देगी। साक्ष्य को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता के बिना, अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज, खारिज और खारिज करना पर्याप्त होना चाहिए। अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री का अभियोजन पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया जाना चाहिए। अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री ऐसी होनी चाहिए, जो एक उचित व्यक्ति को आरोपों के वास्तविक आधार को खारिज करने और झूठा मानने के लिए राजी करे। फिर भी, अभियोजन पक्ष द्वारा यहां प्रस्तुत तर्कों को सिरे से खारिज किया जाता है, तथा यह न्यायालय प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथनों से सहमत है।

11.2 यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि सतर्कता अधिनियम नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट का अर्थ है, कानून केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, न कि उनकी जो अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह रहते हैं। प्रस्तुत मामले में, यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.11.2017 के आदेश का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने वर्ष 2024 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया/वर्तमान याचिका दायर की। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगभग छह वर्षों की देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

11.3 एनडीपीएस की धारा 25 और 35 के प्रावधान वाहन के मालिक के संबंध में स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालते हैं और अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की कठोर धारणा को दर्शाते हैं। इस मामले में, यह अनुमान लगाया जाता है कि उक्त आपत्तिजनक वाहन का स्वामित्व याचिकाकर्ता के पास है। सुविधा के लिए, एनडीपीएस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“25. किसी अपराध के लिए परिसर आदि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दंड - जो कोई, किसी घर, कमरे, बाड़े, स्थान, पशु या वाहन का स्वामी या अधिभोगी होते हुए या उसका नियंत्रण या उपयोग करते हुए, जानबूझकर उसे इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति देता है, वह उस अपराध के लिए प्रदान किए गए दंड से दंडनीय होगा।

35. सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की सदोष मानसिक स्थिति अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की

उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह साबित करना बचाव होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "सदोष मानसिक स्थिति" में आशय, उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी तथ्य को केवल तभी सिद्ध कहा जाएगा जब न्यायालय को विश्वास हो कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है, न कि केवल तब जब उसका अस्तित्व संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित हो।"

11.4 पूरक शिकायत की विषयवस्तु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाँच के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने आपत्तिजनक वाहन और एसएस कंस्ट्रक्शन्स के बाद के खरीदार(खरीदारों) के गलत पते बताकर जाँच अधिकारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया है। इसके अलावा, एनडीपीएस की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता को समन दिए जाने के बावजूद, वह अपनी इच्छा से अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। 25.05.2017 की पूरक शिकायत का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

"3. प्रकरण में आगे विवेचना करते हुए आरक्षियों द्वारा परिवहन की जा रही मारुति कार डीएल 4 सीएई 1763 जिस कार के पंजीकरण मालिक के संबंध में विवेचना करने पर यह तथ्य सामने आया कि उक्त वाहन सैरेस इंडिया इंटरनेशनल के नाम से क्रय की गई थी जिसका पंजीकरण दिनांक 11/06/1998 को कराया गया था इस संबंध में पूर्व विवेचनाधीन अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान कार्यालय मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी परिवहन विभाग, द्वारका, जनपथ तथा नई दिल्ली से उक्त गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ध्वज कर अवलोकन कराया गया है। विवेचना के दौरान सैरेस इंडिया इंटरनेशनल के प्रोप्राइटर संजीव खोसला पुत्र स्व. श्री आर एन खोसला निवासी / कार्यालय – 252, साउथएंड, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली ने दिनांक 09/2012 को अपने बयान में उक्त वाहन को कम्पनी की बंदी के दौरान श्री शुभम चौधरी जो की एस एस ट्रांसपोर्टर्स के साझेदार थे वर्ष 1998 से बता दिया कि उक्त कार उनके हिस्से में चली गई थी। दिनांक समय जब शुभम चौधरी का पता व कार्यालय जो कि संजीव खोसला द्वारा बयान में दर्शाए गए थे, पर संपर्क किया गया तो जिस पते पर कार्यालय बताया गया वहां वह कार्यालय नहीं है। और जिस पते पर शुभम चौधरी का निवास बताया गया वह भी शुभम चौधरी नहीं रहते हैं। कार्यालय व निवास स्थान की सत्यता जांच पुलिस थाना (ईस्ट दिल्ली) व सम्बंधित थाना विवेचना का स्पष्टरूप में पाया गया जिसका पञ्चनामा पूर्व डी जी श्रीमान् निरीक्षक / विवेचना अधिकारी द्वारा 21/9/2014 को श्रीमान को

प्रस्तुत कर दिया गया है जो चालान में शामिल है। जिससे स्पष्ट होता है कि संजीव खोसला द्वारा विवेचना कार्य को भटकाने का कार्य किया गया है।"

"4. प्रकरण कायम होने के उपरांत कार्यालय मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी, परिवहन विभाग, वेस्ट जोन, राजा गार्डन, नई दिल्ली के द्वारा गाड़ी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (जो पत्रावली में शामिल है) भेजकर स्पष्ट किया है कि गाड़ी सैरेस इण्डिया इंटरनेशनल के नाम है। मैसर्स इण्डिया इंटरनेशनल के प्रोप्राइटर संजीव खोखा पिता स्व. श्री आर के खोखा है जिन्हें कई बार एनडीपीएस एक्ट **1985** की धारा **67** का समन देकर कथन परीक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए समन जारी किये गए मगर वह कथन परीक्षण हेतु आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं। संजीव खोसला द्वारा कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनकी कम्पनी के नाम रजिस्टर्ड मारुति कार क्रमांक न/द दर्ज डीएल 4 सीएई 1763 के का इस्तेमाल अफीम तस्करी के परिवहन में कैसे किया जा रहा था।"

11.5 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे अलग-अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स के हैं और यह न्यायालय उपर्युक्त मामलों पर भरोसा करने के लिए सहमत नहीं है।

12. उपर्युक्त के सारांश में यह ध्यान देने योग्य है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए; याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा छह वर्ष की देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; अभिलेखों से पता चलता है कि अपराधी वाहन का मालिक याचिकाकर्ता है; जांच और परीक्षण में याचिकाकर्ता का असहयोग इस न्यायालय को तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं करता है।

13. तदनुसार, वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(समीर जैन), जे

दीपक/58

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

[2024:आरजे-जेपी:37292]

[सीआरएलएमपी-5721/2024]



अधिवक्ता अविनाश चौधरी